पत्रांक–22/अनु0–03/2022सा0प्र0–11715/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
पुलिस महानिदेशक,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 18.7.2022.

विषय –मृत सरकारी सेवक की द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मृत सरकारी सेवक की द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–937 दिनांक–23.06.2005 द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित किये गये हैः–

"3. उपर्युक्त नियम से स्पष्ट है कि कोई सरकारी सेवक, चाहे उसे पर्सनल लॉ के अनुसार ऐसा करने की अनुमान्यता हो या न हो, बिना सरकार की पूर्व अनुज्ञा के, पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह या विवाह के लिए करार नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वह बिना सरकार की अनुज्ञा के विवाह करता है तो ऐसी पत्नी और उससे उत्पन्न संतान को संबंधित सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं हो सकती है।

4. यदि सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसा द्वितीय विवाह किया गया हो तो वैसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–(1) (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत् एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम

पत्नी का ही प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथपत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथपत्र की सत्यता की जॉच के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथपत्र के आधार पर हो सकेगा।"

2. उपर्युक्त प्रावधान के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1778/2021 में दिनांक–28.05.2022 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

State counsel is hereby directed to ascertain from the official respondent as to whether the present matter is covered by the full Bench decision of this Court dated 18-04-2019 passed in L.P.A No. 1305 of 2013 and connected matter in the case of The Bihar State Electricity Board & Ors. & the State of Bihar through Secretary General & Administrative Department Vs. Chandrashekhar Paswan & Ors. reported in 2019 (2)PLJR 500, in which the circular dated 23-06-2005 is struck down. In the result, wheather petitioner is entitled to compassionate appointment being the son of second wife or not?

3. उपर्युक्त न्यायादेश में संदर्भित एल0पी0ए0 सं0–1305/2013 में दिनांक–18.04.2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"61. In view of the discussions made above, LPA Nos. 1305 of 2013 and 1608 of 2014 are dismissed. However, we modify the order dated 13-08-2012 passed by the learned Single Judge in CWJC No. 9329 of 2012 as under:

The impugned circular no. 937 dated 23-06-2005 issued by the Personnel and Administrative Reforms Department, Government of Bihar, Patna stands quashed to the extent it prevents the children of the second wife from being considered for appointment on compassionate ground. The respondents in LPA no. 1305 of 2013 are directed to consider the claim of the respondent-writ petitioner Chandra Shekhar Paswan for appointment on compassionate ground and issue appropriate orders as early as possible preferably within three months from the date of receipt/production of a copy of the order."

4. उपर्युक्त कंडिका–02 एवं 03 में वर्णित न्यायादेशों के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–937 दिनांक–23.06.2005 की कंडिका–3 एवं 4 इस हद तक संशोधित किया जाता है:–

"3. विलोपित।

4. द्वितीय विवाह से जनित संतान को भी अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के लाभ की अनुमान्यता होगी बशर्ते ऐसे अनुकम्पा आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जा रही हों। ऐसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका (1) (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु, ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का ही प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथ–पत्र की सत्यता की जॉच के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगा।"

5. उपर्युक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 सं0–1305/2013 (सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 9329/2012) में आदेश पारित किये जाने की तिथि 18.04.2019 से ही प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव